BIADA

बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार

प्रथम तल, उद्योग भवन, पूर्वी गाँधी मैदान, पटना–800004

Website-www.biadabihar.in, Email- biada@rediffmail.com Phone/Fax: 0612-2675352/2675296/2675002/2675889

कार्यालय आदेश

बियाडा का उद्यमियों के पास वर्षों से लंबित बकाया राशि की वसूली हेतु बियाडा के निदेशक पर्षद् की 45वीं बैठक दिनांक 11.06.14 में एक मूश्त निपटारा(OTS) योजना लागू करने का निर्णय लिया गया है। इसके तहत औद्योगिक क्षेत्रों में अवस्थित इकाईयों के भूखण्ड/शेड आवंटन के विरुद्ध बकाया, रख-रखाव खर्च (Maintenance Charge) एवं सरकार द्वारा प्राधिकार के माध्यम से मुहैया करायी गयी विभिन्न प्रकार के ऋण की राशि यथा सुद मुक्त ऋण, बीज धन ऋण, औद्योगिक ऋण आदि की वसूली एक मुश्त किया जाना है। एक मुश्त निपटारा(OTS) योजना की शर्त्तें एवं पात्रता इस प्रकार है:-

1. जिन इकाईयों नें पूर्व में लागू OTS के तहत आवेदन दिया हो एवं किसी कारणवश उन्हें इसका लाभ प्राप्त नहीं हुआ हो, अथवा
2. जो इकाईयाँ आवेदन की तिथि में कार्यरत है, अथवा
3. जिन्होंने एक्जिट पॉलिसी 2013 के तहत आवेदन दिया है, वे इस योजना के पात्र होंगे।
4. उपरोक्त तीन प्रकार के अलावा अन्य इकाईयों को मूलधन+100% मूलधन के आधार पर इस योजना का लाभ दिया जायेगा।
5. यह योजना किराए पर आवंटित शेड पर भी लागू होंगी।
6. यह योजना 15.06.2014 से 31.12.2014 तक प्रभावी होगी।
7. इस योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु इकाई को 30 नवम्बर 2014 तक निश्चित रूप से ENROL कराना होगा।
8. एक मुश्त निपटारा(OTS) योजना मूल्य एक मुश्त जमा करना होगा।
9. 31.12.2014 के भीतर सभी उद्यमी राशि एक मुश्त जमा करायेंगे।
10. जिन उद्यमियों द्वारा ENROL कराने के बाद 31.12.2014 तक पूरी राशि नहीं जमा की जायगी उन्हें OTS का लाभ नहीं दिया जायगा तथा उनके बकाये की गणना सामान्य दर से करते हुए उनके द्वारा जमा की गई आंशिक राशि का समायोजन सामान्य बकाये में कर ली जायगी।
11. वैसी इकाईयाँ जो पूर्व में इस योजना से लाभान्वित हो चुकी है, उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।

प्रबंध निदेशक का आदेश
दिनांक 24.06.2014

ह0/-
सचिव।

ज्ञापांक:-3309/ दिनांक:-24.06.14

प्रतिलिपि :- सचिव, बियाडा/ मुख्य प्रशासनिक पदाधिकारी, बियाडा/ कार्यकारी निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय पटना/भागलपुर/दरभंगा/मुजफ्फरपुर/ परामर्शी विधि, बियाडा/ परामर्शी आई.टी., बियाडा/ प्रबंध निदेशक के विशेष सहायक, बियाडा पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सचिव।